ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

कमांक:एफ 13(4)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2025–02966 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

गेहूं आवंटन आदेश माह अप्रेल, 2025
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7–1/2019–बीपी–III पार्टV (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15–33/2012–NFSA–पार्ट दिनांक 23.11.2023 विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के कम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को **निःशुल्क** पात्रतानुसार **माह अप्रेल, 2025** हेतु गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :–

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	**निःशुल्क**
द्वितीय	PHH (Others)	**निःशुल्क**

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 15.02.2025 की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– **माह अप्रेल, 2025 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01 मार्च, 2025 से प्रारम्भ किया जावें तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक शत–प्रतिशत उठाव किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावें। खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढाथी जावेगी तथा कम उठाव किये जाने के कारण लाभार्थियों के गेहूं प्राप्ति से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।**

4– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

5– **आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत–प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।** *वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेगें।*

6– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। ***जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।***

7– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

Signature valid
Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.02.24 1?:03:38 IST
Reason: Approved

8— गेहूं वितरण की ग्राहकपर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

9— सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें। **जिला रसद अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि किसी उचित मूल्य दुकान पर आवश्यकता से अधिक स्टॉक एकत्रित न होने पावें।**

10— ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होगें।

11— माह अप्रेल, 2025 के आवंटन में एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक का समायोजन किया गया है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी सुनिश्चित किया जावें कि किसी भी निष्क्रिय पोस मशीन हेतु आर.ओ.जारी न हो पावें।

14— "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

15— माह अप्रेल, 2025 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावें।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 एवं पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह में प्रत्येक दिन समानुपातिक रूप से करते हुए अंतिम तिथि तक शत–प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। *भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है।*

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोटः—माह अप्रेल, 2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का 41 जिलों के आधार पर किया जा रहा है। आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं उचित मूल्य दुकान पर आपूर्ति वर्तमान टेण्डर अवधि समाप्ति तक पूर्वानुसार परिवहनकर्ता के माध्यम से की जावेगी।
संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(ब्रहम लाल जाट)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.02.24 1?:03:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13799195

कमांकःएफ 13(7)खा.वि. / आवंटन / खाद्य सुरक्षा / 2023 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम / द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आवंटित मात्रा का निर्धारित समयावधि में उठाव करने तथा उचित मूल्य दुकान पर शत–प्रतिशत उठाव मात्रा की आपूर्ति हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि **खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) के रिलीज आर्डर स्थानीय / निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।**
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।**
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान / प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत–प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत–प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें।** ***जिला रसद अधिकारी / प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।***
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शनस्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Bra[illegible]m Lal Jat
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.02.24 1[illegible]:03:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13799195

NFSA Regular Wheat Allotment March-2025

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	385.677	610.691	257.246	4549.287	5802.901
2	Alwar	361.345	861.949	258.332	4567.466	6049.092
3	Balotra	305.344	972.368	127.354	2346.291	3751.357
4	Banswara	1416.856	2190.049	653.946	2851.283	7112.134
5	Baran	1479.455	794.116	171.229	2579.445	5024.245
6	Barmer	455.775	1271.546	218.944	3302.497	5248.762
7	Beawar	396.895	629.602	213.992	2397.212	3637.701
8	Bharatpur	271.699	798.912	191.114	3167.738	4429.463
9	Bhilwara	838.345	1429.171	476.145	4323.223	7066.884
10	Bikaner	371.688	1903.174	410.586	3517.469	6202.917
11	Bundi	416.006	680.473	195.702	2558.661	3850.842
12	Chittaurgarh	878.640	859.770	551.678	2357.601	4647.689
13	Churu	717.321	1777.297	368.142	3656.252	6519.012
14	Dausa	321.197	1018.144	154.804	3809.599	5303.744
15	Deeg	219.356	572.591	140.290	2743.797	3676.034
16	Dhaulpur	286.872	621.542	130.520	2979.987	4018.921
17	Didwana-	250.464	674.641	143.565	4783.446	5852.116
18	Dungarpur	1061.111	2464.590	337.985	2273.575	6137.261
19	Ganganagar	378.227	1263.209	142.458	4014.578	5798.472
20	Hanumangarh	438.819	954.615	166.850	3246.726	4807.010
21	Jaipur	344.732	1240.839	383.573	10709.464	12678.608
22	Jaisalmer	205.682	429.973	104.906	1246.569	1987.130
23	Jalor	692.827	1431.195	306.797	3410.720	5841.539
24	Jhalawar	553.296	1109.074	271.010	3349.146	5282.526
25	Jhunjhunun	301.754	519.954	200.885	5514.279	6536.872
26	Jodhpur	180.648	1138.144	127.696	6171.356	7617.844
27	Karauli	510.135	1346.749	243.478	2399.243	4499.605
28	Khairthal-Tijara	152.036	216.274	107.872	2307.123	2783.305
29	Kota	308.063	1008.595	156.577	3020.277	4493.512
30	Kotputli-Behror	180.480	493.064	190.835	3361.806	4226.185
31	Nagaur	291.713	623.193	201.631	4207.712	5324.249
32	Pali	416.421	945.939	226.758	3210.857	4799.975
33	Phalodi	97.104	527.575	60.223	1682.018	2366.920
34	Pratapgarh	472.685	1034.979	248.715	1655.203	3411.582
35	Rajsamand	614.412	918.176	251.031	2539.696	4323.315
36	Salumbar	398.035	1032.982	221.999	917.313	2570.329
37	Sawai Madhopur	493.983	800.234	276.600	2737.439	4308.256
38	Sikar	272.124	778.928	170.505	7203.385	8424.942
39	Sirohi	331.175	562.526	184.170	2619.348	3697.219
40	Tonk	540.190	875.024	346.047	3251.278	5012.539
41	Udaipur	1243.643	2564.431	541.419	3960.336	8309.829
	Total	19852.230	41946.298	10133.609	141500.701	213432.838

Signature Not Verified

Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.02.24 18:04:21 IST
Reason: Approved